न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–80 / 2024   तारीख रजु 20.06.2024

जीसीएमएस आईडी0:–2024 / 202

1. खुशीराम पुत्र देवीसिंह
2. राधेश्याम पुत्र देवीसिंह

} जाति जाट निवासी चुराली तहसील सूरौठ जिला करौली

––सायलान––02

बनाम

1. दयालसिंह पुत्र मोहनलाल
2. ढकेली पत्नि मोहनलाल
3. निरी पुत्री मोहनलाल
4. राजसिंह पुत्र मोहनलाल
5. विधा पुत्री मोहनलाल

} जाति जाट निवासी चुराली तहसील सूरौठ जिला करौली।

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदारजी सूरौठ हिण्डौनसिटी जिला करौली।

–गैरसायलान––06

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2. गैरसायलान विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय   **दिनांक** 27-3-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 280 रकवा 07 ऐयर, 709 रकवा 12 ऐयर, 710 रकवा 10 ऐयर, 711 रकवा 10 ऐयर, 712 रकबा 18 ऐयर, 770 रकबा 23 ऐयर, 810 रकया 7 ऐयर, 869 रकवा 5 ऐयर, 870 रकवा 5 ऐयर, 920 रकवा 24 एयेर, 925 रकया 12 ऐयर, 970 रकया 8 ऐयर, 970 / 1045 रकवा 6 ऐयर कुल कित्ता 13 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर स्थित ग्राम चुराली तहसील सूरीठ में सायलान प्रत्येक का 7 / 120 हिस्से के खातेदार काश्तकार रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि मोजूदा जमाबंदी से भली प्रकार साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:44 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा नम्बर 112 रकवा 0.44 हैक्टेयर ग्राम चुराली तहसील सूरीठ में सायलान प्रत्येक 3 / 10 हिस्से के खातेदार काश्तकार रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि मोजूदा जमाबंदी से भली प्रकार साबित है। आराजी खसरा नम्बर 142 रकवा 05 ऐयर, 143 रकवा 14 ऐयर, 169 रकवा 31 ऐयर, 184 रकवा 12 ऐयर, 185 रकवा 41 ऐयर, 121 रकवा 13 ऐयर, 47 रकवा 7 ऐयर, 48 रकवा 34

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली

ऐयर, 81 रकवा 50 ऐयर, 918 रकवा 14 ऐयर, कुल किता 10 कुल रकवा 2.21 हैक्टेयर स्थित ग्राम चुराली तहसील सूरौठ में सायलान प्रत्येक 7/40 हिस्से के खातेदार काश्तकार रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि मोजूदा जमाबंदी से भली प्रकार साबित है। आराजी खसरा नम्बर 113 रकवा 0.56 हैक्टेयर स्थित ग्राम चुराली तहसील सूरौठ में सायलान प्रत्येक 3/10 हिस्से के खातेदार कास्तकार रेवन्यु दर्ज है जो कि मोजूदा जमारदी से भली प्रकार साबित है।

आराजी खसरा नम्बर 211 रन 05 यिर 220 रकवा 01 ऐकर, 798 एकवा 3 ऐवर, 606 रकया 01 ऐगर, 638 रकवा 01 ऐयर, 913 रकया 02 ऐकर, कुल किता 6 कुल रकवा 0.13 हैक्टेयर स्थित ग्राम चुराली तहसील सूरौठ में सायलान क 7/180 हिस्से के खातेदार काश्तकार रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि मोजूदा जमाबंदी से भली प्रकार साबित है।

बांका दिनांक 16.06.2024 को सायलान अपने हिस्से की आराजीयात में आगामी फसल की तैयारी के लिये देखरेख करने के लिये गये थे कि तभी गैरसायलान मौके पर आये एवं सायलान से कहा कि तुम्हारे पास हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा है इसलिये तुम इस भूमि को अबके बाद काश्त मत करना क्योंकि हम अपने खेतो का बेचान करेगें साथ ही तुम्हारे पास जो अधिक भूमि है उसका भी बेचान करेंगें जिस पर सायलान ने गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया कि भाईयों यदि हमारे पास अधिक भूमि है तो तहसील परिसर में चलकर आराजीयात का विधिवत बटवारा करा लेते है जिस पर गैरसायलान नाराज हो गये एवं सायलान को स्पष्ट धमकी दी कि अब हम तुम्हारे हिस्से सहित उक्त आराजी का दीगर लठैत व्यक्तियों को बेचान करेंगें और वे लोग तुमसे डण्डे के बल पर कब्जा भी छीन लेंगें सायलान ने गैरसायलान का समझाने का एवं विधिवत बटवारा कराने का भरसक प्रयास किया एवं प्रार्थना की लेकिन गैरसायलान उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा कराने को तैयार नहीं है, इस प्रकार गैरसायलान अपनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति इन टर्म्स ऑफ मनी किया जाना संभव नहीं है। इसलिये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफेसला दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर

280, 709, 710, 711, 712, 770, 810, 869, 870 920, 925, 970, 970/1045, 112, 142, 143, 169, 184, 185, 121, 47, 48, 81, 918, 113, 211, 229, 798, 805, 838, 913, स्थित ग्राम चुराली तहसील सूरौठ में वर्णित सायलान के हिस्से से बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे। तथा उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे। ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे सायलान के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 29.11.2024 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या 103, 106, 107, 268, 102 वाके ग्राम चुराली तहसील हिण्डौन पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान् को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 280, 709, 710, 711, 712, 770, 810, 869, 870 920, 925, 970, 970/1045, 112, 142, 143, 169, 184, 185, 121, 47, 48, 81, 918, 113, 211, 229, 798, 805, 838, 913, स्थित ग्राम चुराली तहसील सूरौठ में वर्णित सायलान के हिस्से से बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे। तथा उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे। ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे सायलान के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या 103, 106, 107, 268, 102 वाके ग्राम चुराली तहसील हिण्डौन में सायलान व गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं प्रकरण में मुल दावा तकास्मा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 20.06.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष को विवादित आराजी खसरा न0 280, 709, 710, 711, 712, 770, 810, 869, 870, 920, 925, 970, 970/1045, 112, 142, 143, 169, 184, 185, 47, 48, 81, 918, 113, 211, 229, 798, 805, 838, 913, स्थित ग्राम चुराली तहसील सूरौठ में रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 24/01/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:44 IST
Reason: SelfAttested